तार का पताः ''मिनीस्टील''
Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सूचना का अधिकार

सं० No. 31016/2/2014-AS(G)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN
नई दिल्ली-110107
New Delhi-110107

18 मार्च, 2014

सेवा में

M/s. A.K.A. Enterprises,
13/111, Kalyanpuri
Delhi- 110091

विषय : इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2014-15 में कीट नियन्त्रण पेस्ट कन्ट्रोल एवं टाईल सफाई का अनुबंध किए जाने के क्रम में।

महोदय

अद्योहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 8/01/2014 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा दी गई दरो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। इसलिए इस संबंध में अनुबंध की अवधि दिनांक 01/04/2014 से 31/3/2015 तक के लिए होगी। यदी आप इस अनुबंध को स्वीकार करते हैं तो इस पत्र के प्राप्ती के 7 दिन के अंदर अपनी स्वीकरोक्ती एवं Security रूपये 5000/ का डिमांड ड्राफट जमा कराना होगा। किसी भी रूप में शर्तों का उल्लघन करने पर फर्म की जमानत की राशी जब्त कर ली जाएगी। शर्ते Annexure-I में संलग्न है।

2 बिल का भुगतान ECS द्वारा किया जाएगा।

3 अनुमोदित दरों की सुची Annexure-II में संलग्न है।

भवदीय,

(हरीश कुमार वधवा)
अवर सचिव, भारत सरकार

एच० के० वधवा / H. K. WADHWA
अवर सचिव / Under Secretary
इस्पात मंत्रालय / Ministry of Steel
उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhawan, New Delhi
Phone:-23061243

प्रतिः

1. NIC इस्पात मंत्रालय की website पर दर्शाने के लिये ।
2. IFD, इस्पात मंत्रालय

Annexure-I

शर्ते:-

1. कीटनाशिक दवाईं का छिडकाव कक्षो,गलियारो एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में कराया जायेगा

2. अनुबंन्धकर्ता फर्म को कीटनाशी छिडकाव से सम्बधित सभी मशीने एवं सामग्री अपनी लागत पर प्रयोग करनी होगी तथा निविदा में प्रयोग की जाने वाली समस्त रासायनिक दवाओ/पदार्थो के नामो का उल्लेख करना होगा ।

3. यह फर्म की जिम्मेदारी है कि वह मंत्रालय अधिग्रहित क्षेत्रो को कीट दीमक आदि से मुक्त रखे इसके लिये वह प्रशिक्षित कर्मी रखे । किसी प्रकार की परिवहन लागत को मंत्रलय द्वारा वहन नही किया जायेगा ।

4. यदि फर्म द्वारा कार्य संतोषजनक नही पाया गया तो किसी भी समय कार्य किसी भी अन्य फर्म द्वारा कराया जा सकता है। इसका उतरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा ।

5. फर्म को जमानत के रूप में (Performance Security) Rs. 5000 रूपये का डिमाड ड्राफट वेतन एवं लेखा कार्यालय, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम जमा कराना होगा किसी भी रूप में शर्तो का उल्लघन करने पर इसका हर्जाना फर्म भरना होगा ।

6. सक्षम अधिकारी को किसी भी समय अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त करने सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त है।

7. सेवा कर / बिक्री कर या कोई भी अन्य कर की जानकारी अलग से देनी होगी ।

8. अनुंबध की अवधि अनुंबघ पत्र देने की तारीख से **एक बर्ष** तक के लिये होगी ।

9. कार्य सम्पादन के बाद बिल (तीन प्रतियो में) कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही मंत्रालय बिल का भुगतान करेगा ।

10. यह छिडकाव निर्देश अनुसार कार्य दिवस पर साये अथवा छुट्टीयों के दिन/शनिवार आदि को कार्यलय की सुविधा अनुसार कराया जायेगा । प्रयास होगा कि एक समय पर कम से कम एक Floor पर छिडकाव हो जाये ।

11. फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि पेस्ट कन्ट्रोल Health safty Standard के अनुरूप ही होगा ।

12. फर्म के पास इस तरह के कार्य के लिए आवश्यक प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि कानूनन आवश्कता हो तो ।

13. फर्म को एक प्रमाण देना होगा कि वह अन्य किसी भी मंत्रालय/विभाग में इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत दरों से कम दरों पर कार्य नही कर रही है।

एच० के० वधवा / H.K. WADHWA
अवर सचिव/Under Secretary
इस्पात मंत्रालय/Ministry of Steel
उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhawan, New Delhi
Phone:-23061243